25.10.2021	प्रार्थी हीराराम पुत्र हरजीराम जाति विश्नोई निवासी लाम्बा तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर केम्प लाम्बा में धारा 88 राजस्थान टींनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लाम्बा तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 270, 722 , 730, 821, 1033, 2024, 2029, 2087 कुल खसरा 8 कुल रकबा 30 बीघा 13 बिस्वा आयी हुयी है। उक्त खातेदारी भूमि पूर्व में हरजीराम पुत्र अमराराम विश्नोई की खातेदारी की थी। खातेदार हरजीराम का देहान्त हो गया, उनके देहान्त का फौतेदगी नामान्तकरण स्वीकार किया गया, उसमें प्रार्थी का नाम हीराराम के बजाय हरीराम लिख दिया गया, जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम हीराराम है, सरकारी दस्तावेज हीराराम के नाम से जारी किये हुए है। अंत में निवेदन किया कि उक्त खातेदारी भूमि में हरीराम पुत्र हरजीराम के स्थान पर हीराराम पुत्र हरजीराम की घोषित की जावें। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी हीराराम ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान कराये तथा अपने गवाह रामरख पुत्र सुखराम के बयान दर्ज कराये। दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर जमाबंदी, आधार कार्ड, पैनकार्ड तथा कार्यालय ग्राम पंचायत लाम्बा द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र को पेश किये है। तहसीलदार बिलाड़ा से उक्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा ने जवाब को प्रस्तुत किया जिसे शामिल मिसल किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजों से विदित होता है कि उपरोक्त खातेदारी भूमि में वादी का नाम हीराराम के बजाय हरीराम दर्ज कर दिया है, जो एक त्रुटी है। उक्त वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किये जाने योग्य है। अतः ग्राम लाम्बा तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 270, 722 , 730, 821, 1033, 2024, 2029, 2087 कुल खसरा 8 कुल रकबा 30 बीघा 13 बिस्वा की खातेदारी भूमि में हरीराम पुत्र हरजीराम के स्थान पर हीराराम पुत्र हरजीराम की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। इसी माफिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम लाम्बा में खुले में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी सहायक कलेक्टर बिलाड़ा एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प लाम्बा

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी **बनाम** **प्रतिवादी**

हीराराम पुत्र हरजीराम
जाति विश्नोई निवासी लाम्बा
तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 109 / 2021

निर्णय **दिनांक :– 25.10.2021**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी वादी स्वयं मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम लाम्बा तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 270, 722 , 730, 821, 1033, 2024, 2029, 2087 कुल खसरा 8 कुल रकबा 30 बीघा 13 बिस्वा की खातेदारी भूमि में हरीराम पुत्र हरजीराम के स्थान पर हीराराम पुत्र हरजीराम की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25.10.2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा